संख्या–215 / 22–4–2011–48(7) / 04

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक–03 फरवरी, 2011

विषयः– केन्द्रीय कारागार, नैनी में निर्माणाधीन मुलाकात घर के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–31139 / नम–2,दिनांक–23–11–10 के संदर्भ में, शासनादेश संख्या–134 / 22–4–2001–106(ब) / 2000, दिनांक–28.02.2001 एवं शासनादेश संख्या–154 / 22–4– 2011–48(7) / 04 दि0–20.01.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, नैनी में तिहाड़ जेल पैटर्न पर निर्माणाधीन मुलाकात घर के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रु0–15,28,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं, प्राविधानों और डिजाईन के युक्तियुक्त होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आधारित होने, मानकीकरण आदेशों के अनुरूप होने एवं नियमानुसार होने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ख) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति की मासिक आख्या नियमित रूप से शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(ग) संबंधित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

(घ) स्वीकृत धनराशि के त्रैमासिक प्रगति विवरण/उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित विवरण पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर तथा नियमित रूप से यथा समय महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ङ) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन आदि के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या बी–1–2658/ दस–2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002, शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन विषयक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या ई–8–215/दस–1998 दिनांक 9 मार्च, 1998 एवं तद्नुक्रम में जारी अनुवर्ती शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त निर्माण कार्य प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

...2

(च) निर्माण कार्यों के लिए किसी भी दशा में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का व्यय आगणन में स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा। भविष्य में कोई मूल्य वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(छ) आगणन में अनुमोदित समस्त निर्माण कार्यों को दिनांक–31 मार्च, 2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायेगा।

(ज) कारागार में अनावासीय भवनो का निर्माण शासनादेश संख्या–749/22–4–06–48(12)/05 दिनांक–29 जून, 2006 द्वारा निर्धारित मानचित्र, मानक, कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर कराया जायेगा।

(झ) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(ट) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्मित मुलाकातघर में प्रकाश एवं प्रतिध्वनि की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 25 के लेखा शीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–051–निर्माण–03–कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

<u>संख्या–215(1)/22–4–2010–तद् दिनांक–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।
3– प्रबंध, निदेशक, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
9– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
10– वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–12/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।